राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम जयपुर।
टेलीफैक्स :- 141-2222403 ई-मेल:- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट- www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ क्र( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/ 293

दिनांक :- 12-04-2015

दिशा निर्देश -परिपत्र - 2

एल.ई.डी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिये ई.ई.एस.एल एवम् राज्य सरकार के मध्य दिनाकं 23.01.2015 को एम.ओ.यु. की पालना मे कार्य प्रगति पर है। कुछ निकायो मे एल.ई.डी.लाइट लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ।

देखा गया है कि निकायो द्वारा ई.ई.एस.एल के साथ एम.ओ.यु. हस्ताक्षर करते समय Inventory list मे जो लाईटो की संख्या दर्शायी गयी थी उसमे व निकाय क्षेत्र मे उपलब्ध वास्तविक लाईटो की संख्या मे बहुत अन्तर है। ई.ई.एस.एल द्वारा वास्तविक उपलब्ध लाईटो को एल.ई.डी मे परिवर्तित किया जा रहा है शेष लाईटे निकाय क्षेत्र मे उपलब्ध नही होने के कारण , सम्बंधित निकाय व ई.ई.एस.एल के मध्य विरोधाभास व विवादास्पद स्थिति रहती है ।

इसी प्रकार विभिन्न निकायो मे आवासीय क्षेत्रो का विस्तार भी दिन - प्रति दिन हो रहा है। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने पर , इन नवविकसित आवासीय कालोनियो मे स्ट्रीट लाइट कि निरन्तर आवश्यकता रहेगी । अतः इन कालोनियो मे भी एल.ई.डी.लाइटे लगाया जाना उचित होगा ।

उक्त समस्या के निवारण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है ।

1. सभी निकायो द्वारा Inventory list मे दर्शायी स्ट्रीट लाईटो की संख्या तक, एल.ई.डी.लाइटे लगायी जावे । यदि इतनी संख्या मे पोल मय फेज वायर उपलब्ध नही हो तो नये पोल मय फेज वायर लगाने के उपरान्त, एल.ई.डी. लाइट व Centrally Conrolled Monitoring System (CCMS)पेनल ई.ई. एस.एल से लगवायी जावे। ई.ई.एस.एल द्वारा सभी उपलब्ध फेज वायर वाले खम्भो पर एल.ई.डी.लाइट व CCMS का कार्य पूर्ण करके उसका completion certificate, निकाय से प्राप्त किया जावे तथा शेष लाईटो के बारे मे इन्द्राज किया जावे व एम.ओ.यु के अनुरूप प्रोजेक्ट की गणना की जावे । शेष स्थानो पर निकायो द्वारा पोल व फेजवायर का कार्य करने के पश्चात EESL द्वारा एल. ई.डी.लाइट का कार्य करवाया जावे जिसकी प्रोजेक्ट लागत की गणना पृथक से की जावे ।

2. जिन स्थानिय निकायो मे एलईडी. लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है वे स्थानिय निकाय तुरन्त प्रभाव से संधारण का कार्य बन्द करे क्योकी कार्य पूर्ण होने के पश्चात ई.ई.एस.एल. द्वारा ही संधारण का कार्य किया जाना है, इसे ई.ई.एस.एल. सुनिश्चित करे। पोल , केबल ,फेजवायर व मेन स्वीच मीटर पेनल का संधारण कार्य निकाय द्वारा किया जाना है ।

3 इस प्रोजेक्ट की अवधि 7 वर्ष है इस दौरान निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित नयी कालोनियो जिनसे (*Urban Cess*) "अरबन सैस" की राशी वसूल की जा रही हो तो उन कालोनिया के ऐसे खम्भे जिन पर फेज वायर उपलब्ध है वहा नयी एल.ई.डी.लाइटे व CCMS का कार्य EESL से करवाया जा सकता है ।

इन लाइटो की संख्या Inventory list मे दर्शायी संख्या से अधिक होने पर भी निकाय द्वारा ई.ई.एस.एल से अतिरिक्त एल.ई.डी.लाइट लगवाने का कार्य करवाया जा सकता है। इस अतिरिक्त कार्य की लागत कि गणना पृथक से एम.ओ.यु. के अनुरूप की जा सकती है ।

सभी निकाय उपरोक्तनुसार निर्देशो की पालना करते हुए ई.ई.एस. एल से कार्य करावे व प्रोजेक्ट अवधि (7 वर्ष) के दौरान विकसित होने वाली नयी कालोनियो मे उपरोक्तनुसार एल.ई.डी स्ट्रीट लाईटो की उचित व्यवस्था की जावे ।

उक्त आदेश निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली स्ट्रीट लाईटो के लिये ही मान्य है तथा इस आदेश से पूर्व मे एल.ई.डी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध मे जारी सभी दिशा निर्देश परिपत्र व आदेश यथावत लागू रहेगें ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें ।

(सचिता बिश्नोई)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

क्रमांक – एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/294-497 दिनांक -12-04-2017

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ।

3. श्री सौरभ कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विस लि०
चतुर्थ तल IWAI बिल्डिंग, A-13 सेक्टर–1, नोएडा–201301 (यू०पी०)

4. मैनेजिंग डायरेक्टर, REIL,2 कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र , सिरसी रोड, जयपुर

5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग ....

6. आयुक्त / अधीशाषी अधिकारी नगर निगम / परिषद / पालिका ....

8. श्री महेश कुमार शर्मा / रमेश चन्द्र शर्मा / रामेश्वर [illegible] / रमेश माथुर / बाबूलाल कन्डोला अधिशाषी अभियन्ता ; विद्युतद्व नगर निगम जयपुर / उदयपुर / अजमेर / जोधपुर ।

9. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य अभियंता